न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–1374/2017 (2017/00257) दर्ज दिनांक 27.10.2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।
2. सोहन पिता प्रताप कुम्हार निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मूलसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. ग्राम पंचायत कोशीथल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. प्रेमदेवी पत्नि नाथुलाल गाडरी निवासी बंगला रोड़ कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

वकिल प्रार्थीः–श्री राजमल तिवारी
विपक्षीः– पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 09.03.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोशीथल पटवार क्षेत्र कोशीथल में साविक आराजी संख्या 1020, 1067, 1068, 1069/13 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है जो खाता संख्या 2 संवत् 2042 से 2045 में प्रार्थी के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 597 दिनांक 18.06.1993 को दर्ज हुई जिसके पड़ौस निम्न प्रकार हैः–

पूर्व – अली मोहम्मद की जमीन (सोहन पिता प्रता[illegible] के नाम है।)
पश्चिम – मूलसिंह पिता हीरासिंह की भूमि।
उत्तर – शंकर गुसाई की भूमि (हि[illegible])
दक्षिण – आम रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :—1374 / 2017 (2017 / 00257)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

यह कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1020, 1067, 1068, 1069 / 13 के नवीन नम्बर 3316 रकबा 1.08 हे0, 3317 रकबा 1.08 हे0 कायम किये गये। यह कि दोराने बन्दोबस्त बिना किसी आदेश के भू–प्रबंध अधिकारियों ने प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के नवीन नम्बर अंकित नहीं करके प्रार्थी का नाम छुटे हुए खातों की सूची में डाल दिया व बिलानाम एवं चरागाह का रकबा बढ़ा दिया है जो आरम्भ से ही अवैध है जबकि प्रार्थी जंहा मौके पर बैठा हुआ है उसी साबिक / बन्दोबस्त के पूर्व के रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी के नवीन नम्बर नक्शा तैयार करना चाहिये। किसी भी खातेदार का नाम छुटे हुए खाते की भूमि में डालने का भू–प्रबंध अधिकारियों को अधिकार नहीं है। प्रार्थी मौके पर साबिक रेकार्ड के अनुसार काबिज है व काश्तलाभ ले रहा है।

यह कि प्रार्थी साबिक रेकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज है जिसमें चारों पड़ौसों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

वर्तमान आराजी संख्या	रकबा	खातेदार
3310	1.62 हे0	चरागाह
3316	1.08 हे0	मूलसिंह पिता हरिसिंह
3317	1.08 हे0	सोहन पिता प्रताप कुम्हार
3831	0.50 हे0	बिलानाम काबिल काश्त

यह कि हाल नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार साबिक आराजी संख्या 1020, 1067, 1068, 1069 / 13 रकबा 5 बीघा को फिट करने से निम्न स्थिति कायम होती है:–

वर्तमान आराजी संख्या	रकबा	खातेदार
3310	0.30 हे0	चरागाह
3316	0.28 हे0	मूलसिंह पिता हरिसिंह
3317	0.48 हे0	सोहन पिता प्रताप कुम्हार
3831	0.02 हे0	बिलानाम काबिल काश्त

मूलसिंह पिता हरिसिंह के नाम 3316 / 1 रकबा 0.80 हे0, 3310 / 1 रकबा 0.28 हे0 कुल रकबा 1.08 हे0 होना चाहिये व सोहन पिता प्रताप कुम्हार (प्रताप पिता मूला) के नाम 3317 / 2 रकबा 0.60 हे0, 3831 / 2 रकबा 0.48 हे0 जो कुल 1.08 हे0 होना चाहिये। यह कि मौके पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या तीन व चार इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है व काश्त लाभ लेते आ रहे है जिससे सहायक प्रबंध अधिकारी या तहसीलदार सहाड़ा से मौका निरीक्षण रिपोर्ट तलब की जावें व मौके की पैमाईश करायी जावें ताकि इस तथ्य की मौके व रेकार्ड अनुसार ताईद जो सके।

यह कि विपक्षी मूलसिंह 3316 रकबा 0.80 हे0, 3310 / 1 रकबा 0.28 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 दर्ज करने से मूलसिंह का [illegible] प्रभावित नहीं होगा व इसी प्रकार सोहन कुम्हार के नाम 3317 / 2 रकबा 0.60 हे0 [illegible] 3831 / 2 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 दर्ज करने से विपक्षीगण मूलसिंह व [illegible] के रकबे प्रभावित नहीं होंगे, मौके पर जिस प्रकार काबिज है उसी अनुसार रकबा दर्ज हो जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह कि उक्त त्रुटि दोराने बन्दोबस्त हुई है तथा बिना किसी आदेश के प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1020, 1067, 1068, 1069/13 रकबा 5 बीघा को छुटे खातों की सूचियों में क0सं0 15 पर डाल करके बिलानाम व चरागाह का रकबा बढ़ा दिया गया तथा मूलसिंह पिता हरिसिंह व सोहन पिता प्रताप के रकबों की लम्बाई कम कर चौड़ाई बढ़ा दी गई जिसके अनुसार संशोधन करके साबिक नक्शेनुसार नवीन नक्शे में संशोधन करना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम कोशीथल की हाल आराजी संख्या 3310 रकबा 0.30 हे0, 3316 रकबा 0.28 हे0, 3317 रकबा 0.48 हे0, 3831/1 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 4 प्रार्थी भैरूसिंह के नाम दर्ज की जावें व विपक्षी मूलसिंह के नाम 3316/1 रकबा 0.80 हे0, 3310/1 रकबा 0.28 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.08 हे0 व विपक्षी सोहन कुम्हार के नाम 3317/2 रकबा 0.60 हे0, 3831/2 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमाया जावें तद्नुसार नवीन नक्शे में फिट कराया जावें।

प्रकरण दिनांक 27.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 04 उपस्थित जिसने फर्द अहकाम पर अनापत्ति जाहिर की। विपक्षी संख्या 02, 03 व 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमायी जाने बाबत् निवेदन किये जाने से तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 3316/1 रकबा 0.54 हे0, 3316/2 रकबा 0.54 हे0 खातेदार मूलसिंह पिता हरिसिंह टांक सा0देह प्रेमीदेवी पत्नि नाथूलाल गाडरी सा0 देह के नाम एवं आराजी नं0 3317 रकबा 1.08 हे0 सोहनलाल पिता प्रताप कुम्हार सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जो बी0आर0के0जी0बी0 शाखा कोशीथल के रहन दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी नं0 3310 रकबा 1.62 हे0 किस्म बीड चरागाह ग्राम कोशीथल व आराजी नं0 3831 रकबा 0.50 हे0 किस्म बीड बिलानाम काबिल काश्त में दर्ज रेकार्ड है।
2. वादी भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक के नाम भूप्रबंध से पूर्व आराजी नं0 1020, 1067, 1068, 1069/13 रकबा 5 बीघा खातेदारी से दर्ज रेकार्ड था। जिसकी पूर्व नक्शे में तरमिम होकर मूलसिंह पिता हरिसिंह की [illegible] सोहन पिता प्रताप कुम्हार की आराजी के मध्य स्थित होकर [illegible] है।
3. भूप्रबंध विभाग द्वारा वादी का [illegible] कर छुट हुये खातों की सूची में डाल दिया गया। जबकि वादी का मौके पर कब्[illegible]होकर काश्त करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा

4. नवीन नक्शों व पुराने नक्शे की तुलना करने पर पाया कि गत नक्शों में जो आराजीयात पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई में स्थित थी। उनकी चौड़ाई बढ़ाकर वादी का खाता गायब कर दिया गया।
5. मौके पर दिनांक 03.02.2021 को तीनों खातों की जरीब चलाकर रकबा बरारी की गइ। तो मौके अनुसार मूलसिह पिता हरिसिंह टांक प्रेमदेवी पत्नि नाथूलाल गाडरी का कब्जेशुदा रकबा 1.44 हे0 भूमि, भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक का कब्जेशुदा रकबा 1.08 हे0 भूमि व सोहनलाल पिता प्रतापकुम्हार का कब्जेशुदा रकबा 1.18 हे0 भूमि पर होकर थोहर बाड़ पिलर जाली लगी हुई हैं जिसमें चरागाह आराजी नं0 3310 रकबा 1.62 हे0 में से 0.70 हे0 रकबा व बिलानाम आराजी नं0 3831 रकबा 0.50 हे0 में से 0.38 हे0 रकबा भी शामिल आता है।
6. राजस्व नक्शे व मौके की स्थिति में भिन्नता है। मौके की स्थिति को राजस्व नक्शे पर फिट करने पर आराजी नं0 3316 / 1 रकबा 0.54 हे0, आराजी नं0 3316 / 2 में से रकबा 0.41 हे0 व चरागाह आराजी नं0 3310 में से 0.34 हे0 कुल रकबा 1.29 हे0 रकबा मूलसिंह पिता हरिसिंह टोंक प्रेमी पत्नि नाथू गाडरी सा0देह का कब्जा काश्त फिट होता है। इसी प्रकार वादी भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक का आराजी नं0 3316 / 2 में से 0.13 हे0 रकबा व 3317 में से 0.50 हे0 रकबा व चरागाह आराजी नं0 3310 में से 0.14 हे0 रकबा व बिलानाम आराजी नं0 3831 में से 0.12 हे0 रकबा कुल रकबा 0.89 हे0 भूमि पर कब्जा काश्त फिट होता है। इसी प्रकार सोहनलाल पिता प्रताप कुम्हार के आराजी नं0 3317 में से 0.58 हे0 रकबा बिलानाम आराजी नं0 3831 में से 0.26 हे0 रकबा कुल रकबा 0.84 हे0 भूमि पर कब्जा काश्त फिट होता है। जो मौके पर स्थित रकबे से काफी भिन्न हैं।
7. इस प्रकार वादी का खाता साबिक नक्शे अनुसार चरागाह आराजीनं0 3310 रकबा 1.62 हे0 में से 0.70 हे0 भूमि व बिलानाम आराजी नं0 3831 रकबा 0.50 हे0 में से 0.38 हे0 कुल 1.08 हे0 भूमि व आराजी नं0 3316 / 1 रकबा 0.54 हे0 , 3316 / 2 रकबा 0.54 कुल रकबा 1.08 हे0 व 3317 रकबा 1.08 हे0 को शामिल करके ही वादी का खाता पुनः कायम किया जा सकता है। साबिक नक्शे में वादी व प्रतिवादी मूलसिंह की भूमि एवं आराजी नं0 2578 / 1020 / ख के बीच रास्ते के अलावा चरागाह भूमि दर्ज नहीं थी। चरागाह आराजी नं 3314 से लगती हुई बिलानाम आराजी नं0 3312 रकबा 4.14 हे0 स्थित है।

इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कोशीथल द्वारा अनापत्ति पत्र पेश किया जो इस प्रकार हैं कि ग्राम सभा की दिनांक 15.10.20[illegible] के प्रस्ताव संख्या 01 के निर्णयानुसार भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक निवासी कोशीथल [illegible] द्वारा निर्णय इनके पक्ष में आता है तो चरागाह आराजी संख्या 3[illegible] रकबा 1.620 हे0 में से 0.70 हे0 खातेदारों का पुराने नक्शे अनुसार दर्ज करने एवं क्षतिपूर्ति हेतु बिलानाम आराजी संख्या 3312 रकबा 4.14 हे0 में से 0.70 हे0 चरागाह में दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत कोशीथल को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested

4.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :–1374/2017 (2017/00257)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व राजस्व ग्राम कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा साबिक नक्शे अनुसार चरागाह आराजीनं0 3310 रकबा 1.62 हे0 में से 0.70 हे0 भूमि व बिलानाम आराजी नं0 3831 रकबा 0.50 हे0 में से 0.38 हे0 कुल 1.08 हे0 भूमि एवं आराजी नं0 3316/1 रकबा 0.54 हे0, 3316/2 रकबा 0.54 कुल रकबा 1.08 हे0 व 3317 रकबा 1.08 हे0 को शामिल करके गत नक्शे एवं खाते अनुसार प्रार्थी भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक के नाम आराजी नं0 3316/2 में से 0.38 हे0, आराजी नं0 3317 में से 0.28 हे0, आराजी नं0 3831 में से 0.10 हे0 एवं आराजी नं0 3310 में से 0.32 हे0 कुल किता 04 रकबा 1.08 हे0 एवं विपक्षी सोहन पिता प्रताप कुम्हार के नाम आराजी नं0 3317 में से 0.80 हे0 एवं आराजी नं0 3831 में से 0.28 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.08 हे0 इसीप्रकार विपक्षी मूलसिंह पिता हरिसिंह एवं प्रेमीदेवी पत्नि नाथूलाल गाडरी के नाम आराजी नं0 3316/1 रकबा 0.54 हे0, 3316/2 में से 0.16 हे0 व आराजी नं0 3310 में से 0.38 हे0 कुल किता 03 रकबा 1.08 हे0 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं चरागाह क्षतिपूर्ति हेतु चरागाह से लगती हुई बिलानाम आराजी नं0 3312 रकबा 4.14 हे0 में से 0.70 हे0 चरागाह में दर्ज किया जाना न्यायोचित है अतएवः–

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा साबिक नक्शे अनुसार चरागाह आराजीनं0 3310 रकबा 1.62 हे0 में से 0.70 हे0 भूमि व बिलानाम आराजी नं0 3831 रकबा 0.50 हे0 में से 0.38 हे0 कुल 1.08 हे0 भूमि एवं आराजी नं0 3316/1 रकबा 0.54 हे0, 3316/2 रकबा 0.54 कुल रकबा 1.08 हे0 व 3317 रकबा 1.08 हे0 को शामिल करके गत नक्शे एवं खाते अनुसार प्रार्थी भैरूसिंह पिता बद्रीसिंह टांक के नाम आराजी नं0 3316/2 में से 0.38 हे0, आराजी नं0 3317 में से 0.28 हे0, आराजी नं0 3831 में से 0.10 हे0 एवं आराजी नं0 3310 में से 0.32 हे0 कुल किता 04 रकबा 1.08 हे0 एवं विपक्षी सोहन पिता प्रताप कुम्हार के नाम आराजी नं0 3317 में से 0.80 हे0 एवं आराजी नं0 3831 में से 0.28 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.08 हे0 इसीप्रकार विपक्षी मूलसिंह पिता हरिसिंह एवं प्रेमीदेवी पत्नि नाथूलाल गाडरी के नाम आराजी नं0 3316/1 रकबा 0.54 हे0, 3316/2 में से 0.16 हे0 व आराजी नं0 3310 में से 0.38 हे0 कुल किता 03 रकबा 1.08 हे0 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने एवं चरागाह क्षतिपूर्ति हेतु चरागाह से लगती हुई बिलानाम आराजी नं0 3312 रकबा 4.14 हे0 में से 0.70 हे0 चरागाह में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे। पत्रावली बाद दाखिल रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 5.
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)